संख्या : पी.सी.एच.-एच.ए.(3)3/2001- 4181-16664
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

Block Development Officer
Diary No. 1101
Date 14-05-2010
Kaina at Reckong Peo

प्रेषक:

सचिव(पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित:

1. समस्त ग्राम पंचायत प्रधान,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त सचिव/पंचायत सहायक,
ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश।

शिमला-171009, दिनांक 23 अप्रैल, 2010.

विषय:- ग्राम सभा की बैठकों के सफल आयोजन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपके ध्यान में यह लाना है कि ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची की मदों के अंत में एक मद अन्य मुद्दे (other items) रखी जाती है जबकि ग्राम सभा की बैठक की कार्यसूची की मदें चिन्हित होनी चाहिए। ग्राम सभा बैठक की कार्यसूची में मदें स्पष्ट की जाए और "अन्य मदें" नाम की कोई भी मद न रखी जाए। इसके बावजूद भी यदि ग्राम सभा की बैठक में अन्य मुद्दे (other items) पर चर्चा होती है (जो कार्य सूची में शामिल नहीं थी) तो वह मान्य नहीं होगी।

अतः आप से अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा की बैठक में उन्हीं मदों पर विचार विमर्श किया जाए जो बैठक की कार्यसूची में विनिर्दिष्ट हों। बैठक में पहले कार्यसूची सभी परिवारों को प्रदर्शित की जाए तथा उस पर

Scanned with CamScanner

परिवार के किसी व्यस्क व्यक्ति के हस्ताक्षर भी लिए जाएं। कार्य सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड तथा सभा क्षेत्र के अन्य सहज दृश्य स्थानों पर भी चिपकाया जाए।

भवदीय,

हस्ता०

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या– पी.सी.एच.-एच.ए.(3)3/2001- 1066-752 शिमला-17109 22 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपिः–

समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवं समस्त विकास खण्ड अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को इस निर्देश सहित कि वे उक्त निर्देशों का पंचायत स्तर पर कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

हस्ता०

विशेष सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ० सं० [illegible] (ग्राम सभा)/2007-1342-64 दिनांक 13-05-2010

प्रतिलिपि:- समस्त पंचायत सचिव/ पंचायत सहायक विकास खण्ड [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता०

खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड [illegible]
जिला [illegible]